बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 154/आवंटन /
सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 38/2018

पटना, दिनांक 27-3-19

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–5465–सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश, उपमुख्य शीर्ष–01–सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश, मांग सं0–23, उपशीर्ष–0108–बिहार राज्य वित्तीय निगम लि0, विपत्र कोड 23–5465011900108, विषय शीर्ष 0108.54.01 निवेश मद से बिहार राज्य वित्तीय निगम (BSFC), पटना को औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाईयों को आवश्यकतानुसार ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 5,00,00,000.00 (पाँच करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल **रू0 5,00,00,000.00 (पाँच करोड़ रूपये)**मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष–5465–सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश, उपमुख्य शीर्ष–01–सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश, मांग सं0–23, उपशीर्ष–0108–बिहार राज्य वित्तीय निगम लि0, विपत्र कोड 23–5465011900108, विषय शीर्ष 0108.54.01 निवेश मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 1565 दिनांक 26.03.2019 के आलोक में दिया जा रहा है। इसके सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

कृ0 पृ0 उ0

(घ) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 30 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 154/3ा0/ पटना, दिनांक 27.3.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 154/3ा0/ पटना, दिनांक 27.3.19

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय निगम (BSFC), पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।